न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 105/2022(2022/)

1. प्रहलाद पुत्र रामपाल।
2. रमेशचन्द पुत्र रामपाल।
3. लालचन्द पुत्र रामपाल।
4. शम्भू पुत्र रामपाल।
5. सत्यनारायण पुत्र रामपाल।
6. सम्पत पुत्र रामपाल।
7. कन्हैयालाल पुत्र रामपाल।
8. जमना पत्नी रामपाल।

समस्त जाति खटीक निवासीगण काजीपुरा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री कमलेश कासोटिया
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 28.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी मे दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
809–381	6059	0.02	बारानी 1
	किता 1	रकबा 0.02	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण खातेदारी काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वर्णित आराजीयात अपने–अपने हिस्से में चाह का निर्माण, भूमि सुधार करने तथा तारबंदी इत्यादि का कार्य करवाना चाहते है प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में उक्त कार्य करवाना चाहते है जिसके लिए उनकेहिस्से में स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व खातेदार से किसी प्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। आराजीयात का सीमा ज्ञान दिनांक 23.6.2021 को तहसीलदार महोदय केकडी के आदेश क्रमांक 5/3297 दिनांक 11.6.2021 की पालना में सीमाज्ञान किया जाकरी मौका पर्चा बनाया गया है प्रार्थीगण ने प्रतिवादी के कार्यालय में उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

तो प्रतिवादीगण ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है उक्त वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 809–361 के खसरा संख्या 6059 रकबा 0.02हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner